# वन विभाग हिमाचल प्रदेश

## ( वन्य प्राणी प्रभाग )

### हिमाचल प्रदेश की 91 तहसीलों/उप-तहसीलों व शिमला नगर निगम में

## 'बंदरों' को पीड़क जन्तु (Vermin) घोषित करने के सन्दर्भ में

# मार्गदर्शिका

केन्द्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत बन्दरों (Rhesus Monkeys) को हिमाचल प्रदेश की 91 तहसीलों/उप-तहसीलों व नगर निगम शिमला क्षेत्र में दिनांक 14 फरवरी, 2019 तथा 11 जुलाई 2019 को अधिसूचनाएं जारी करके, एक वर्ष की अवधि के लिए पीड़क जन्तु (Vermin) घोषित किया है। इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन आवश्यक है। जिसके लिए निम्नलिखित आवश्यक पहलुओं के दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

### 1. जागरूकता:

जिन भी क्षेत्रों में उपरोक्त अधिसूचना लागू है, कोई भी व्यक्ति अपनी निजी सम्पति या निजी भूमि पर अगर बन्दर नुकसान पहुंचाए, हमला करें ऐसी स्थिति में इस प्रकार के उत्पाती बन्दरों को भगा सकते हैं अथवा मार सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में वन्य प्राणी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई अपराधिक मामला नहीं बनेगा। ध्यान रहे की वन क्षेत्र में बन्दरों को भगाना अथवा मारना उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत पूर्णत: वर्जित है। अत: यह कार्यवाही उन बन्दरों पर हो सकती है जो वन क्षेत्रों से बाहर आए हों।

### 2. नियन्त्रण कक्ष की स्थापना:

सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी (DFO) के कार्यालय स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाए जहां बन्दरों को मारने व मृत बन्दरों के शवों के बारे रिपोर्ट की जाए और समूची प्रक्रिया नियंत्रित की जा सके। दर्ज शिकायतों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

### 3. बन्दरों को मारने की प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षण:

बन्दरों को मारने की प्रक्रिया के अनुश्रवण के लिए वन मण्डल अधिकारी स्तर पर पर्यवेक्षण स्टाफ (Monitoring Staff) नियुक्त किया जाए। समूची प्रक्रिया के दौरान निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा:-

(क) अपनी निजी भूमि पर बन्दरों को मारने वाले व्यक्ति, हथियार शस्त्र के प्रयोग एवं अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मवार होंगे। यदि इस प्रक्रिया के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए भी वे स्वयं ही जिम्मेवार होंगे। वन्य प्राणी विभाग, वन विभाग ऐसे किसी भी तरह के कानूनी मामलें में पक्ष नहीं लेगा।

(ख) बूढ़े, अपाहिज, गर्भवती प्रतीत होने वाली मादा, दूध पिलाने वाली मादा और उसके शिशु तथा नवजात बन्दरों को नहीं मारा जाएं।

## 4. बन्दर के शव का निपटान (Disposal):

सूचित जानवर के शव संस्कार हेतु प्रत्येक बीट स्तर पर एक निदृष्ट स्थान चुना जाए कम से कम तीन फुट गहरा गढ्ढा जोकि मृत जानवर के शव को पूरी तरह ढक सके, तैयार किया जाएगा एवं शव को उसमें दबाने के बाद संक्रमण तथा पशुओं द्वार खाए जाने को रोकने के लिए गड्डे में नमक और चूने का पाउडर मिलाया जाएगा। शव निपटान की उपरोक्त प्रक्रिया न अपनाए जाने पर निम्न समस्याएं आ सकती हैं:-

- संक्रामक तथा पशुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों का बढ़ना।
- मृत बदरों के शवों को नदी किनारे व किसी खाई में फैंकने से नदी का पानी दूषित हो जाना।
- सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से असामाजिक तत्व वन्य प्राणियों को मारने के बाद धार्मिक स्थलों के समीप फैंक सकते हैं।

सम्बन्धित वन परिक्षेत्राधिकारी स्थानीय पंचायतों/ निकायों के प्रतिनिधियों के समन्वय से मृत बंदरों के शवों का सही व सुरिक्षत निपटान सुनिश्चित करेंगे।

**( क ) विभाग द्वारा शव का निपटान निम्न प्रकार से किया जा सकता है:-**

सम्बन्धित तहसीलों की प्रत्येक बीट स्तर पर वन रक्षक के नेतृत्व में एक शव निपटान दल का गठन किया जाए। वन रक्षक अपने कार्यक्षेत्र में शवों के सुरक्षित व जल्द निपटान के लिए जिम्मेवार होगा। शव का निपटान उपरोक्त वर्णित तरीके से किया जाएगा । वन रक्षक द्वारा मृत बन्दरों का रिकार्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

**( ख ) स्वयं शव का निपटान:**

बन्दर को मारने वाला व्यक्ति स्वयं भी वन रक्षक को सूचित करके शव का निपटान उपरोक्त वर्णित तरीके से कर सकता है। इस सम्बन्ध में वन रक्षक रिकार्ड अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेगा। मृतक बन्दर की फोटो Mobile Camera अथवा अन्य कैमरे से खींची जा सकती है जो रिकार्ड हेतु पर्याप्त होगी।

## 5. बन्दर को मारने के दौरान चोट:

यह सुनिश्चित किया जाए कि मारने के दौरान बन्दर को जख्मी हालत में न छोड़ा जाए। फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो उसे मारने वाले व्यक्ति तथा वन विभाग के संयुक्त सहयोग से उसका उचित इलाज करवाया जाए। उक्त व्यक्ति स्थानीय स्टाफ को अविलम्ब सूचित करेगा और तदानुसार घायल वन्य प्राणी को समीपवर्ती पशु चिकित्सालय/पुनर्वास व बचाव केन्द्र ले जाकर सही उपचार किया जाएगा और जिस स्थान से उसे पकड़ा गया उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा।

## 6. प्रोत्साहन राशि:

यदि कोई व्यक्ति निजी क्षेत्र ( वन क्षेत्र के अतिरिक्त) में बन्दरों को मारता है तो मारे गए प्रत्येक बन्दर पर 500 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

- सम्बन्धित क्षेत्रों में वन मण्डल अधिकारी, सहायक अरण्यपाल तथा वन परिक्षेत्राधिकारी की एक कमेटी गठित की जाए जो शव निपटान की पुष्टि के उपरान्त 500 रूपए प्रोत्साहन राशि के दावे का निर्णय करेगी।
- उपरोक्त अधिसूचना के मापदण्डों के अनुसार मारे गए बन्दरों को प्रमाणित करने के लिए कोई भी फोटो, वीडियो रिकार्डिंग या कलिपिंग और किसी भी पंचायती राज संस्था या स्थानीय नगर निकाय द्वारा दी गई सूचना पर्याप्त होगी जिस आधार पर सम्बन्धित कमेटी प्रोत्साहन राशि जारी करने का निर्णय लेगी।

Ptd. by: NEW ERA, Shimla Ph.: 0177-2628276